

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 1979/अग्रहायण 16, 1901
No. 522] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 1979/AGRAHAYANA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paglug is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

दई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1979

का. आ. 790(अ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (घ) और उप-पैरा (2) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3(2), तारीख 28 सितम्बर, 1979 में का. आ. 557(अ) के रूप में प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या

56/79, तारीख 28 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में—

- (1) मद संख्या 4, गुजरात के सामने, स्तम्भ 2 के अधीन, "15. वृत्त के भीतर स्वस्तिक" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (2) मद संख्या 17, राजस्थान के सामने, स्तम्भ 2 के अधीन, "21. वृत्त के भीतर स्वस्तिक" प्रविष्टि रखी जाएगी ; और
- (3) मद संख्या 27, दिल्ली के सामने, स्तम्भ 2 के अधीन, "19. वृत्त के भीतर स्वस्तिक" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[संख्या 56/79-4]

आदेश से,
के. गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1979

S.O. 790(E).—In pursuance of clause (d) of sub-para (1) and sub-para (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 56/79, dated 28 September, 1979 published as S.O. 557 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 28th September, 1979, and as amended from time to time, namely:

In the Table 4 of the said notification:

- (a) against item No. 4. Gujarat, under column 2, insert the entry "15. Swastik within a circle";
- (b) against item No. 17. Rajasthan, under column 2, insert the entry "21. Swastik within a circle";
- (c) against item No. 27. Delhi, under column 2, insert the entry "19. Swastik within a circle".

[No. 56/79-IV]

By Order,

K. GANESAN, Secy.